डिस्कलेमर

आदेश संख्या 18/2026-27 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

ऐरा/20010/एमवाईटीपी/ **बीकेजे** /जीएच/श्रीनगर/2026-27

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

Airports Economic Regulatory Authority of India

*****

आदेश संख्या 18/2026-27

ऐरा कार्यालय
तृतीय तल, उड़ान भवन
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली– 110003

जारी करने की तारीख: 03.09.2026

सेवा	:	**ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं (जीएचएस)**
सेवा प्रदाता	:	**मैसर्स बीकेजे एयरपोर्ट्स (श्रीनगर) प्राइवेट लिमिटेड**
हवाईअड्डा	:	**श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, श्रीनगर**
हवाईअड्डा प्रचालक	:	**भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा. वि. प्रा.)**

विषय: मैसर्स बीकेजे एयरपोर्ट्स (श्रीनगर) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, श्रीनगर में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) से 31.03.2027 तक के लिए तदर्थ टैरिफ निर्धारित करने के मामले में।

<u>सेवा प्रदाता की प्रस्तुति :</u>

1. मैसर्स बीकेजे एयरपोर्ट्स (श्रीनगर) प्राइवेट लिमिटेड, स्वतंत्र सेवा प्रदाता (आईएसपी) ने दिनांक 29.06.2026 की अपनी ईमेल के माध्यम से जानकारी दी कि उन्हें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर प्रभावी तारीख से 10 वर्ष की अवधि के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए रियायत दी गई है।

2. स्वतंत्र सेवा प्रदाता ने इस संबंध में निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत की है:

   i. मैसर्स बीकेजे एयरपोर्ट्स (श्रीनगर) प्राइवेट लिमिटेड और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच हुआ दिनांक 14.05.2026 का लाइसेंस करार

   ii. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) से मैसर्स बीकेजे एयरपोर्ट्स (श्रीनगर) प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशकों के नाम दी गई दिनांक 07.05.2026 की सुरक्षा अनुमति

   iii. मैसर्स शुभाशीष वेल्थ मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स एलएलपी, मैसर्स विज़न एविएशन प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स शुभाशीष एयरपोर्ट मैनेजमेंट सर्विसेज़ एलएलपी के कंसोर्टियम को जारी दिनांक 03.06.2025 का 'कार्य सौंपने संबंधी आशय पत्र' (एलओआईए)।

<u>प्राधिकरण की जांच</u>

3. प्राधिकरण ने नोट किया है कि हवाईअड्डा प्रचालक ने श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर जीएचएस (ग्राउंड हैंडलिंग सेवा) प्रदान करने वाली एजेंसी चुनने के लिए एक निविदा निकाली थी। निविदा प्रक्रिया में मैसर्स शुभाशीष वेल्थ मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स एलएलपी, मैसर्स विजन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स शुभाशीष एयरपोर्ट मैनेजमेंट सर्विसेज का कंसोर्टियम सफल बोलीदाता के रूप में सामने आया। आरएफपी के अनुसार, सफल बोलीदाता को श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग कार्य करने के लिए भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) बनाना अपेक्षित था। इसके अनुसरण में, सफल बोलीदाता ने भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एसपीवी के रूप में 'बीकेजे एयरपोर्ट्स (श्रीनगर) प्राइवेट लिमिटेड' को निगमित किया। आशा है कि नया आईएसपी शीघ्र ही अपने प्रचालन शुरू कर देगा।

4. प्राधिकरण ने नोट किया है कि आईएसपी ने श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर प्रभावी तारीख से 10 वर्ष की अवधि के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (हवाईअड्डा प्रचालक) के साथ दिनांक 14.05.2026 को एक रियायत करार किया था।

5. यह ध्यान में आया है कि मैसर्स बीकेजे एयरपोर्ट्स (श्रीनगर) प्राइवेट लिमिटेड को बीसीएएस से दिनांक 07.05.2026 के इसके पत्र के माध्यम से सुरक्षा अनुमति मिल गई है। बीसीएएस द्वारा दी गई सुरक्षा अनुमति जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध है।

6. प्राधिकरण ने मैसर्स बीकेजे एयरपोर्ट्स (श्रीनगर) प्राइवेट लिमिटेड की उस प्रस्तुति की जांच की है जिसमें उन्होंने श्रीनगर हवाईअड्डे पर अपने प्रस्तावित ग्राउंड हैंडलिंग प्रचालनों के लिए तदर्थ टैरिफ का अनुरोध किया था। इस जांच के बाद प्राधिकरण का मानना है कि आईएसपी की ओर से श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए एमवाईटीपी प्रस्तुत करने और सेवा प्रदाता के लिए नियमित टैरिफ निधारित करने की यथोचित विनियामक प्रक्रिया को पूरा करने में थोड़ा समय लगेगा।

7. इस बीच, श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, श्रीनगर में नई ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी (आईएसपी) को अपने वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने में सक्षम बनाने के लिए प्राधिकरण ने अंतरिम उपाय के रूप में आईएसपी के लिए इसकी प्रस्तावित ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में 'तदर्थ टैरिफ' पर विचार करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय ऐरा द्वारा निकटवर्ती/तुलनात्मक प्रमुख हवाईअड्डों पर पहले से अनुमोदित टैरिफ के आधार पर है। प्राधिकरण ने अमृतसर, चंडीगढ़, देहरादून और लखनऊ हवाईअड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए प्रचलित टैरिफ से तुलना की और आईएसपी के लिए तुलनात्मक हवाईअड्डों की मदवार दरों में से सबसे कम दर को तदर्थ टैरिफ के रूप में माना है।

आदेश

रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि :

(i) मैंसर्स बीकेजे एयरपोर्टस (श्रीनगर) प्राइवेट लिमिटेड को श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर संलग्नक (I,II और III) के अनुसार वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से **31.03.2027 तक**, या स्वतंत्र सेवा प्रदाता के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ आधार पर प्रभार वसूल और संग्रहित करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि अंतरदेशीय 'नॉन शेड्यूल्ड और सामान्य विमानन प्रचालनों' के संबंध में मद-वार प्रभार सहित ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ समान श्रेणी के विमान (नों) की संगत अंतरदेशीय शेड्यूल्ड उड़ानों के लिए अनुमोदित टैरिफ से अधिक नहीं होगी।

(iii) इसमें अनुमोदित टैरिफ प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली अधिकतम टैरिफ होगी। अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाए।

(iv) ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए विदेशी मुद्रा में भुगतान किए जाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की पिछले माह की अंतिम तारीख को विद्यमान मुद्रा परिवर्तन दर पहले पखवाड़े के लिए लागू होगी और माह की पंद्रह (15) तारीख को विद्यमान दर दूसरे पखवाड़े के लिए लागू होगी।

(v) मैंसर्स बीकेजे एयरपोर्ट्स (श्रीनगर) प्राइवेट लिमिटेड नागर विमानन मंत्रालय के दिनांक 01.11.2021 के पत्र संख्या एवी-24011/10/2021–एएआई-मोका द्वारा जारी निदेशों के अनुसार श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, श्रीनगर में ग्राउंड हैंडलिंग उपस्कर के मानकीकरण का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

(vi) स्वतंत्र सेवा प्रदाता नियमित टैरिफ निर्धारण के लिए इस आदेश के जारी होने के तीन माह के भीतर अपना एमवाईटीपी प्रस्तुत करेगा।

(vii) इसमें ऊपर निर्धारित टैरिफ में लागू कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

(viii) हवाईअड्डा प्रचालक इस टैरिफ आदेश को सभी हितधारकों की जानकारी के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

(ix) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चत करेगा।

प्राधिकारी की और से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)
सचिव

सेवा में,

श्री गगन सिंह राजपूत
महा प्रबंधक (प्रचालन),
बीकेजे एयरपोर्ट्स (श्रीनगर) प्राइवेट लिमिटेड
3 केवीए भगत मोहल्ला – बी, सोईबुघ मस्जिद के पास
बड़गाम-191111, जम्मू एवं कश्मीर

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ,</u>

1) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली–110003
2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, श्रीनगर